फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्रीमति रामकन्या देवी कुम्हार .... बनाम श्रीमति लहरी कुमावत ....

किस्म मुकदमा ....111, 128 LR Act........ नं. ......72...... सन् ....2021........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/21	वकील प्रार्थीगण द्वारा ....प्रार्थना.... पत्र अन्तर्गत धारा ....111, 128.... विरूद्ध विपक्षीगण.... पेश किया गया । ....प्रार्थना.... पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर ....विपक्षीगण.... की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक ....6/4/21.... को पेश हो । 15/80	
6.4.21	पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित ... अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश ... हैं / अन्य राजकार्य में ... पत्रावली साबिक आदेश ......को पेश हो। 15/6/21 आज्ञा से रीडर	
15/6/21	पत्रावली पेश हुई समय पक्ष उपस्थित ... अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश ... हैं / अन्य राजकार्य में ... पत्रावली साबिक आदेश ......को पेश हो। 17/8/21 आज्ञा से रीडर	
17/8/21	वकील वादी उपस्थित । नोटिस बाद तामील समय पर प्राप्त न होने एवं विधी अनुसार तामील न होने पर प्रतिवादीगणों के नोटिस पुनः जारी हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी उपस्थित। नोटिस बाद तामील समय पर प्राप्त न होने एवं विधि अनुसार तामील न होने पर प्रतिवादीगणों को नोटिस पुनः जारी हो। पत्रावली बाद तामील वास्ते जवाब दिनांक 23.12.21 को पेश हो।

15/11/21

6

प्रशासन गाँव के संग अभियान - 204

ग्राम पं. सरदारनगर

ओमप्रकाश
प्र.स.2

पत्रावली पेश हुई। वादियागण एवं प्रतिवादी सं० 2 ओमप्रकाश पुत्र गोपालगिरि व प्र.स. 3 रविशंकर पुत्र गोपालगिरि उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराने हेतु सहमति दी।

रविशंकर
प्र.स.3

नि. राजकन्या
वादी स. 1

नि. सायरीदेवी
वादी सं. 2

लोडगी
प्र. सं. 1

दे?
प्र. स. 5 पति की
उपस्थित से

केम्प दिनांक
15/11/21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः आइन्दा पत्रावली साबिक आदेश दि. तक.........को पेश हो।
18/1/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

23/11/21 पत्रावली आज दिनांक ... वादी के निवेदन पर केम्प राजस्व करने पर प्रस्तुत हुई। वादी द्वारा विपक्षी 1 से 5 तक का प्रार्थना पत्र वादी की भूमि की पत्थर गढ़ी करने हेतु सहमति का प्रस्तुत किया जो शा.मा. किया गया वादी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर पत्रावली ... की जाती है। पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 72 / 2021

उनवान

1. श्रीमती रामकन्या देवी पत्नी श्री गोविन्दराम जी लुहार नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमती सायरीदेवी पुत्री श्री गोविन्दराम जी लुहार नि0 सरदारनगर हाल भीलवाडा जिला भीलवाड़ा राज0

———————— (प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्रीमती लेहरी पत्नी भैरूलाल कुमावत नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र गोपालगिरी नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. रविशंकर पुत्र गोपालगिरी नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीलाल कुमावत नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. मृतक जगदीश पुत्र रतनलाल कुमावत जरिये वारिसान देउ पत्नि जगदीश कुमावत नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

———————— (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 22.05.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 28.01.2021 [illegible] ुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा की कृषि [illegible] 1493 रकबा 01–11 बीघा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि [illegible] 03 सह खातेदार है एंव विपक्षी संख्या 04 , 05 पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। [illegible]ससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड आधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 22.11.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने व प्रतिवादी संख्या 02,03,05 द्वारा सहमति व्यक्त की हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निंविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारनगर तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 1207 के आ0न0 1493 रकबा 01–11 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 200/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प बनेडा मे सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:44:56 IST
Reason: SelfAttested